कार्यालय आदेश

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अथवा किसी राज्य सूचना आयुक्त द्वारा किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय किसी लोक सूचना अधिकारी पर 'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' की धारा 20 के उपबन्धों के अनुसार शास्ति का अधिरोपण किया जा सकता है।

2– एतद्द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या–131/43–2–2021 दिनांकित 10 फरवरी, 2021 के आलोक में पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या–596/सचिव/2015, दिनांकित 29 मई, 2015 को विखण्डित करते हुए शास्ति की वसूली हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

(क) किसी लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित करने हेतु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश सम्बन्धित सुनवाई कक्षों के अहलमद के द्वारा आदेश पारित होने के अगले माह की 5 तारीख तक आयोग के शास्ति अनुभाग को अग्रसारित की जायेगी। दण्डादेश विलम्ब से भेजने के लिए सम्बन्धित अहलमद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। उक्त आदेश की प्राप्ति के उपरान्त शास्ति अनुभाग द्वारा आदेश के विवरण को संलग्न परिशिष्ट–1 में दिए गए रूपविधान में उक्त प्रयोजन के लिए रखी गयी पंजी में प्रविष्ट किया जायेगा।

(ख) तदोपरान्त रजिस्ट्रार द्वारा शास्ति अनुभाग के माध्यम से शास्ति के आदेश को संलग्न परिशिष्ट–2 में दिए गए रूपविधान में संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी को सम्बोधित एक पत्र द्वारा इस आशय से पहुँचाया जायेगा कि लोक सूचना अधिकारी के वेतन से शास्ति की धनराशि की वसूली की जाये और इस धनराशि को नियत दिनॉक तक यथोचित लेखा शीषर्क में जमा किया जाये व अनुपालन आख्या आयोग को प्रेषित की जाये।

(ग) यदि सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति की वसूली कर अनुपालन आख्या प्रेषित की जाती है तो शास्ति अनुभाग द्वारा ऐसी अनुपालन आख्या की एक प्रति संलग्न परिशिष्ट–3 में दिए गए रूपविधान में सम्बन्धित सुनवाई कक्ष को प्रेषित की जायेगी।

(घ) यदि आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति की वसूली को किसी न्यायालय द्वारा स्थगित किया जाता है अथवा शास्ति अधिरोपित करने के आदेश को न्यायालय द्वारा अपास्त किया जाता है तो रजिस्ट्रार द्वारा लिटिगेशन अनुभाग के माध्यम से ऐसे स्थगन या अपास्तिकरण की सूचना संलग्न परिशिष्ट–4 में दिए गए रूपविधान में अविलम्ब सम्बन्धित सुनवाई कक्ष व सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी को दी जायेगी।

(ङ) यदि किसी शास्ति आदेश को सुनवाई कक्ष द्वारा स्थगित/अपास्त किया जाता है तो सुनवाई कक्ष के अहलमद द्वारा इसकी सूचना स्थगन/अपास्तिकरण के आदेश की सत्यप्रति के साथ संलग्न परिशिष्ट–5 में दिए गए रूपविधान में आदेश की तिथि को ही शास्ति अनुभाग को प्रेषित की जायेगी। रजिस्ट्रार द्वारा शास्ति अनुभाग के माध्यम से शास्ति आदेश के स्थगन/अपास्तिकरण की सूचना संलग्न परिशिष्ट–6 में दिए गए रूपविधान में सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी को भेजी जायेगी।

.....2

(च) रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे मामलों की सूची, जिनमें उ0प्र0 सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति की वसूली लम्बित है, शास्ति अनुभाग के माध्यम से विभागवार तैयार कराकर संलग्न परिशिष्ट–7 में उ0प्र0 सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित करायी जायेगी एवं उक्त सूची प्रत्येक माह अद्यावधिक की जायेगी, जिससे कि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा शासन स्तर पर तथा विभागाध्यक्ष द्वारा विभागीय स्तर पर प्रत्येक माह आयोग की वेबसाइट से अधिरोपित शास्ति की सूचना सीधे प्राप्त कर उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के नियम 15(4) के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व के निवर्हन में शास्ति की वसूली के अनुश्रवण का कार्य किया जा सके।

(छ) उ0प्र0 सूचना आयोग के स्तर पर अर्थदण्ड की वसूली के अनुश्रवण से सम्बन्धित कार्य सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग द्वारा स्वयं अपने स्तर पर नियत समय में सुनिश्चित किया जायेगा। ऐसे मामले जिनमें वसूली नहीं हो पायी है, इन वसूली के मामलों के सम्बन्ध में सचिव द्वारा सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी को अवगत कराया जायेगा। शास्ति वसूली का उत्तरदायित्व सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी का ही होगा।

(ज) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सचिव द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग उत्तर प्रदेश शासन को ऐसे प्रकरणों की सूची परिशिष्ट–8 में दिए गए रूपविधान में उपलब्ध करायी जायेगी, जिन प्रकरण में अनुश्रवण किए जाने के पश्चात् भी अनुपालन आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

(झ) उक्त सूचनाओं को शास्ति अनुभाग द्वारा परिशिष्ट–7 में दिए गए रूपविधान में सॉफ्ट कापी में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक कम्प्यूटर प्रोग्रामर को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त सूचनाओ को आयोग की वेबसाइट पर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अपलोड/अद्यावधिक करने का उत्तरदायित्व कम्प्यूटर प्रोग्रामर का होगा।

(ञ) आयोग का रजिस्ट्रार ऐसे प्रत्येक मामले, जिसमें आयोग ने किसी लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित की है, में अग्रेतर कार्यवाही के लिए उत्तरदायी रहेगा, जबतक शास्ति की वसूली से संबंधित अनुपालन आख्या प्राप्त न हो जाये अथवा जब तक किसी सक्षम न्यायालय का कोई अन्य आदेश न प्राप्त हो।

(भवेश कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक /46/ उ0प्र0सू0आ0 / सं0निबं0 / 3 / 2021

दिनांक 31 मार्च, 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

(1) निजी सचिव, राज्य सूचना आयुक्त को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह मा0 राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष अवलोकनार्थ प्रेषित करें।
(2) सचिव, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग।
(3) रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग।
(4) संयुक्त निबंधक, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग।
(5) उप–सचिव, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग।
(6) शोध अधिकारी, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग।
(7) प्रभारी शास्ति अनुभाग, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग।
(8) प्रभारी लिटिगेशन, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग।
(9) कम्प्यूटर प्रोग्रामर, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग।
(10) गार्ड फाइल।

(जगदीश प्रसाद)
सचिव

परिशिष्ट–1

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अधीन अधिरोपित शास्तियों का विवरण

कम संख्या	शिकायत/अपील की पंजीकरण संख्या	शास्ति आदेश पारित करने वाली पीठ का नाम	आदेश का दिनांक	अधिरोपित की गयी शास्ति की धनराशि (किस्तों, यदि कोई हो, के विवरण सहित)	शिकायतकर्ता/ अपीलार्थी का नाम और पता	उस लोक सूचना अधिकारी का नाम (यदि उपलब्ध हो), पदनाम और पता जिस पर शास्ति अधिरोपित की गयी	शास्ति आदेश पर अनुपालन आख्या प्राप्ति का दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9